pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क

अचल सम्पत्ति,(यों)की ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : – 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली –110001 फोन : – 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
जनकपुरी शाखाः– सी–2/21, प्रथम तल, माता चानन देवी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(S) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पतिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/JAN/0318/510404, बी.ओ.: जनकपुरी, विकास चंद्रा/कमलेश चंद्रा	**21.04.2023 तक रु. 20,70,672.48**	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर 18, चौथी मंजिल, पॉकेट 1, ब्लॉक बी8, सेक्टर 34, रोहिणी, नई दिल्ली, भारत, 110085	रु. 816000	रु. 81600	26.03.2025	रु. 10,000	13.03.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	27.03.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	**Not Known**

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। "पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।
1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(र्स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट–**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **पवन कुमार संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : जनकपुरी, दिनांक : 11.03.2025
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV-ए) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज–4, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा) शाखा कार्यालयः "30/30ई, ऊपरी तल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल – एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल – एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहां है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट : **www.iiflonehome.com.** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओ)/सह–कर्जदार(ओ)/गारंटर(ओ)	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
1. श्री दीपक चावला, 2. श्रीमती शीतल, 3. चावला एस इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी सॉलुशन (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10586283)	**09–मई–2024,** रु.23,91,544/– (रुपये तेईस लाख ईकानबें हजार पांच सौ चौवालीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु.25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें तीसरी मंजिल का सामने वाला हिस्सा छत के अधिकार के साथ संपत्ति का प्लॉट नंबर एस102, खसरा नंबर 21/9 का हिस्सा, गांव रजापुर खुर्द, कॉलोनी मोहन गार्डन के नाम से जानी जाती है, ब्लॉक एस उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 क्षेत्र में स्थित है। (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि.क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 450.00	26–सितंबर–2024 दिनांक 07–मार्च–2025 को कुल बकाया राशि रु. 29,40,204/– (रुपये उनतीस लाख चालीस हजार दो सौ चार केवल)	रु. 13,00,000/– (रुपये तेरह लाख केवल) **बयाना राशि जमा (ईएमडी)** रु. 1,30,000/– (रुपये एक लाख तीस हजार केवल)
1. श्री कुना नायक 2. श्रीमती नमिता नायक (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10042139, आईएल10077170)	**30 अगस्त 2021** रु.16,14,150/– (सोलह लाख चौदह हजार एक सौ पचास रुपये मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु.20,000/– (बीस हजार रुपये मात्र)	प्रा. सं. 206, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार वाली संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, पीछे की ओर बाईं ओर, क्षेत्रफल 40.83 वर्ग गज, संपत्ति संख्या 227 और 228, गली नंबर 18, ब्लॉक–ई, मनसा राम पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली पिनकोडः 110059	**16 अप्रैल 2024** 05–फरवरी–2025 तिथि तक कुल बकाया राशि रु.17,93,729/– (रु. सत्रह लाख तिरानबे हजार सात सौ उनतीस मात्र)	रु. 8,00,000/– (रु. आठ लाख मात्र) **बयाना राशि जमा (ईएमडी)** रु. 80,000/– (रु. अस्सी हजार मात्र)
1. श्रीमती शीला देवी 2. श्री प्रताप (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10124049)	**04–जनवरी–2024,** रु.11,98,747/– (ग्यारह लाख अंठानबे हजार सात सौ सैंतालीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु.20,000/– (बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें फ्लैट संख्या डी–1, तीसरी मंजिल, पीछे आरएचएस साइड बिना छत/छत के अधिकार, भूमि क्षेत्र मापः 360 वर्ग फीट, कारपेट क्षेत्र मापः 350 वर्ग फीट, बिक्री योग्य क्षेत्र मापः 402 वर्ग फीट, संपत्ति संख्या बी.1400/2, बी.1400/2–डी (पुराना नंबर) पर निर्मित बी–1400), खसरा नंबर 16/1–2, गांव देवली, तहसील साकेत, एमबी रोड, साउथ दिल्ली, 110080	**13–मई–2024** दिनांक 07–मार्च–2025 तक कुल बकाया राशि रु. 15,62,681/– (पंद्रह लाख रुपये बासठ हजार छह सौ ईकासी मात्र)	रुपये 5,00,000/– (पांच लाख रुपये मात्र) **बयाना राशि जमा (ईएमडी)** 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
24–मार्च–2025 1100 बजे–1400 बजे	26–मार्च–2025 अप. 5 बजे तक	29–मार्च–2025 1100 बजे–1300 बजे

भुगतान का विधिः –ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे।भुगतान करने के लिए आप **https://www.iiflonehome.com** पर जाए और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें। **नोटः** हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है।आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं।शेष भुगतान के लिए –**https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay** पर लॉगिन करें।

नियम और शर्तें :–

1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता **https://www.iiflonehome.com** के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा फार्म" ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपरिवर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम "बोली वृद्धि राशि" में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागू स्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसेकि म्युनिसिपल कर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेनदेन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** तथा **https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction** देखने की सलाह दी जाती है।
7. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ई–मेल आईडी : **auction.hl@iifl.com** सपोर्ट हेल्प लाइन नंबर : @1800 2672 499. पर सम्पर्क करें।
8. किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध में पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई–मेल : **auction.hl@iifl.com** को मेल लिखें।
9. एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
10 एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त करने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मत ढंग से बेचा जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
12. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची/नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : दिल्ली , तिथि : 11.03..2025 हस्ता./– **प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड**

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी,
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

टी.आर.सी. नं. 2656/2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक बनाम मंजीत सिंह ओबेरॉय एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

(सीडी 1) मंजीत सिंह ओबेरॉय पुत्र सुरिंदर सिंह, एच-237, विकासपुरी, दिल्ली
(सीडी 2) रुपिंदर कौर पत्नी मंजीत सिंह ओबेरॉय, एच-237, विकासपुरी, दिल्ली
(सीडी 3) राजिंदर कौर पत्नी सुरिंदर सिंह, एच-237, विकासपुरी, दिल्ली
अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं:
(ए) मंजीत सिंह ओबेरॉय पुत्र सुरिंदर सिंह, निवासी एच-237, विकासपुरी, दिल्ली।
(सीडी 4) जतिंदर सिंह चोपड़ा पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह चोपड़ा, 81, प्रॉमिस अपार्टमेंट, विकासपुरी, दिल्ली
(सीडी 5) एमएसओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड निवासी जे-127, भूतल, विकासपुरी, नई दिल्ली।

1. जैसा कि प्रमाणपत्र लेनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित 07.09.2018 से वसूली तक पेंडेंटेलाइट और सीसी (14.2%), पीसी (14.65%) वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित **रु. 25,90,09,902.83/-** की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III द्वारा ओए नं. 628/2018/डीआरटी-III/दिल्ली में अन्तरण वसूली **प्रमाणपत्र नं. 2656/2022** आहरित किया गया है।
2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि लागतों तथा प्रभारों सहित 07.09.2018 से वसूली तक पेंडेंटेलाइट और सीसी (14.2%), पीसी (14.65%) वार्षिक भावी ब्याज तथा लागतों सहित **रु. 25,90,09,902.83/-** की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 11.04.2025 **को** 12.00 **बजे अप. से** 1.00 **अप. बजे** के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली"** के माध्यम से वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** पर होगी।
4. ई-नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1	**(vii)** प्लॉट नं. 9/9 तथा 9/8, ग्राम-हस्तल, शिव विहार, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली	रु. 1.70 करोड़	रु. 17.00 लाख

5. ईएमडी पहचान प्रमाण (वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति सहित जिस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व-प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली **खाता टी.आर.सी. सं.** 2656/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली के पास अधिकतम 08.04.2025 **को** 5.00 **बजे अप.** से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अपनी ईएमडी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।
6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित **"टी.आर.सी. सं. 2656/2022"** लिखा होना चाहिए।
7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई-मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया **सम्पर्क करें : श्री विनोद चौहान, मोबाइल नम्बर** 9813887931, ईमेलः **delhi@c1india.com,** मेसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नम्बर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुरुग्राम - 122003 (हरियाणा), वेबसाइटः **http://www.bankeauctions.com** और ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com**.
8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अग्रिम में मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।
9. सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तथा पद	ई-मेल तथा दूरभाष नं.
अभिषेक टंडन (मुख्य प्रबंधक)	मोबाइल नं. 9899749434 ई-मेलः

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सर्टिफिकेट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री **'जहां है जैसी है' और 'जो है यही है'** शर्त पर की जाएगी।
11. संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व किया जा सकता है जिसके लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. अतार्किक पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी डीआरटी-क की रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-1, दिल्ली/या बैंक से संपर्क करें।
14. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।
16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वहन करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
18. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह **रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)** के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को दुबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
19. सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
20 सफल/उच्चतम बोलीदाता ईएमडी समायोजित करने के बाद ई-नीलामी की समाप्ति तथा उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के तुरन्त बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता **"टी.आर.सी. नं. 2656/2022"** के पक्ष में धरोहर राशि (**ईएमडी**) समायोजित करने के बाद 25% क्रय राशि राशि का डीडी/पे आर्डर जमा करना होगा जो रिकवरी अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार भेजनी/जमा करनी होगी जो ई-नीलामी की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
21. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में **रु.** 1000/- **तक** 2% की दर से तथा **रु.** 1000/- से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-क के समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का "रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. 2656/2022" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उपरोक्त रूप से रिकवरी अधिकारी पास पहुंच जाए)।
22. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

लॉट सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सह-स्वामियों सहित जहां सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य से संबंधित है	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	**(vii) प्लॉट नं. 9/9 तथा 9/8, ग्राम-हस्तल, शिव विहार, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली**	**कोई सूचना प्राप्त नहीं**		

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 21.02.2025 **को दी गयी।**

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2024-25/273 - 275 **Date : 04/03/2025**

ई-निविदा सूचना संख्या : 75/2024-25

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	रूपये 545.15 लाख (13 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि	06.03.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 17.03.2025 को सायः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	06.03.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 17.03.2025 को सायः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	18.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट **urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in** व **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2425WSOB00493 To ITU2425WSOB00505

अधिशाषी अभियन्ता - द्वितीय
उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/24/12883

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः प्रथम तल, पदम, टावर–2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर–208001, फोन : 0512–6680634
CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी–मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:
ऋणी/उधारकर्ता (ओं)/कानूनन वारिस (ओं) /कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप–धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र0 सं0	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु0)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1.	**श्री राजेन्द्र कुमार श्री अंकित जैन श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री वर्तिक जैन** म0 न0 289, सिविल लाइन–3, स्टेशन रोड, ललितपुर–284403	**32,40,790/–** दिनांक 31.01.2025 तक	27.02.2025	समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग प्लाट खसरा नं0 2080/2 का भाग, मौजा ललितपुर, अन्दर हद परगना, ललितपुर, **चौहद्दी : पू**–10 फीट सड़क, प–15 फीट सड़क, उ–खसरा नं0 2080/2 का भाग, द–12 फीट सड़क

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्यवाई करेगी।
इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांकः 11.03.2025
स्थान : कानपुर

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई–400 020

ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि.

CIN: L51909DL1994PLC235697

रजि. कार्यालयः प्लॉट नंबर 3, एचएएफ पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, चरण-2, नई दिल्ली-110075, फ़ोन: 91-11-30418901-05,
प्रधान कार्यालयः 5वीं मंजिल, ट्रांसकॉर्प टावर्स, मोती डूंगरी रोड, जयपुर-302004 फ़ोन: 91-141-4118888
वेबसाइट: www.transcorpint.com, ई-मेल: Grievance@transcorpint.com,

पोस्टल बैलेट एवं ई-वोटिंग की सूचना

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार)

सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि धारा 108 और 110 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("प्रबंधन नियम") के साथ पढ़े"), जिसमें कुछ समय के लिए लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन के विनियमन 44 शामिल है। , 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) समय-समय पर संशोधित और किसी भी अन्य कानून, नियमों, विनियमों के लिए ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की मंजूरी डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावों के लिए मांगी जाती है। रिमोट ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग) प्रक्रिया का तरीका।
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के संबंध में और विनियमन 44 के संबंध में जारी एमसीए परिपत्र के अनुसार कंपनी ने **10th मार्च 2025** को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पोस्टल बैलेट नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां व्याख्यात्मक विवरण के साथ भेज दी हैं जिनके ईमेल पते पंजीकृत हैं।शुक्रवार, **07 मार्च 2025 ("कट-ऑफ" तिथि)** तक कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ।
उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइटः **www.transcorpint.com** और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट **www.bseindia.com** के संबंधित अनुभाग पर भी उपलब्ध है, जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट परः www.evoting.nsdl.com. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का सारांश नीचे दिया गया है:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	सोमवार, 17 मार्च 2025, सुबह 9:00 बजे IST
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार,15 अप्रैल 2025, शाम 5:00 बजे IST
रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 07 मार्च 2025 ("कट-ऑफ" तिथि)।
रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम	गुरुवार,17 अप्रैल 2025 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले

कृपया ध्यान दें कि उक्त समय-सीमा के बाद ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।पोस्टल बैलेट नोटिस से संबंधित शिकायत रखने वाले सदस्य अपने पंजीकृत ईमेल पते से ईमेल आईडी **Grievance@transcorpint.com** भेज सकते हैं या श्री जयेश कुमार पूनिया (अनुपालन अधिकारी और समूह कंपनी सचिव), 5 वीं मंजिल, ट्रांसकॉर्प टॉवर, मोती डूंगरी को लिख सकते हैं। में उनका नाम, फोलियो नंबर/डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी, जैसा लागू हो, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की प्रति के साथ उल्लेख करना होगा। नोटिस को **www.transcorpint.com** के निवेशक अनुभाग से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें एनएसडीएल की प्रबंधक सुश्री प्राजक्ता पावले को **evoting@nsdl.com** पर भेजी जा सकती हैं या 022- 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
जिन सदस्यों के पास फिजिकल मोड में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 1ई/13, झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055 (भारत) को लिखने का अनुरोध किया जाता है। फोन नंबर: 011-42541959 ई-मेल आईडी: **info@alankit.com** अनुरोध दस्तावेज प्रदान करके अपने संबंधित ईमेल पते को अपडेट करने के लिए। डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रासंगिक डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।
कंपनी ने कानून के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग/डाक मतपत्र के संचालन के लिए श्री आनंद प्रकाश जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को संवीक्षक नियुक्त किया है।
पोस्टल बैलटके नतीजे गुरुवार,17 अप्रैल 2025 को शाम 5:00 बजे या उससे पहले को 5वीं मंजिल, ट्रांसकॉर्प टॉवर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर- 302004 पर घोषित किए जाएंगे। परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.transcorpint.com** और NSDL की वेबसाइट **https://www.nsdl.com//** पर भी अपलोड किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") को आवश्यक खुलासे भी किए जाएंगे। यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है, तो मतदान की प्राप्ति के लिए कंपनी द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि यानी मंगलवार,15 अप्रैल 2025 को पारित माना जाएगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
श्री जयेश कुमार पूनिया
कंपनी सचिव

दिनांकः 10.03.2025
स्थानः जयपुर

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन : U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेंट्रल एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रावधानित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी-423 एवं 410 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद "ईएआरसी/एसाइनी" सन्दर्भित) को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड की वित्तीय सुविधाएं एसाइन कर दी गयी हैं, कथित एसाइनमेंट के अनुसार ईएआरसी एसाइनर के स्थान पर आ गया है और प्रतिभूति लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करता है। यह कि ईएआरसी ने प्रतिभूत लेनदार की अपनी क्षमता में सरफैसी अधिनियम 13(4) तथा उसके तहत नियमों के अधीन नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है।
एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, सहकर्जदार(रों), विधिक उत्तराधिकारियों तथा जमानती(यों) 15 दिवसीय सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में बंधक नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत आस्तियों, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी (एओ) द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री कर्जदार तथा सह-कर्जदारों से ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी धन को घटाकर ईएआरसी के बकाया इसमें उल्लिखित राशियों तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों/लागतों की वसूली के लिए "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति हेतु आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है। एतद्वारा कोई भी पूर्ववर्ती सूचना को तत्काल प्रभाव से वापस/आहरित किया जाता है और इस सूचना को मान्य माना जायेगा।

ई-नीलामी हेतु प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	ऋण खाता सं./विक्रेता संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम	ट्रस्ट का नाम	07.03.2025 तक कुल बकाया राशि रु.	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जे का प्रकार
1.	HL/0245/H/14/000075	अश्वनी कुमार (कर्जदार) तथा शीला देवी (सह-कर्जदार)	EARC-TRUST-SC-423	₹ 81,98,323.49/-	₹ 26,00,000/-	₹ 2,60,000/-	27.03.2025 को 01:30 बजे अप.	भौतिक
संपत्ति का विवरणः - फ्लैट संख्या-बी-157, टावर संख्या 'बी' की पंद्रहवीं मंजिल पर, जिसका माप लगभग 890.00 वर्ग फुट, सुपर एरिया (लगभग) मीडोज विस्टा फेज-I, राजनगर एक्सटेंशन, एनएच-58, गाजियाबाद में है और इसकी सीमाएँ हैंः -पूर्व मेंः व्यक्तिगत बिक्री विलेख के अनुसार, पश्चिम मेंः बिक्री विलेख के अनुसार, उत्तर मेंः बिक्री विलेख के अनुसार, दक्षिण मेंः बिक्री विलेख के अनुसार।								
2.	1061183	ललित कुमार सिलाई केंद्र (कर्जदार) तथा लक्ष्मी देवी (सह-कर्जदार)	EARC-TRUST-SC-410	₹ 37,36,582.37/-	₹ 10,00,000/-	₹ 1,00,000/-	27.03.2025 को 12:30 बजे अप.	भौतिक
संपत्ति का विवरणः - संपत्ति का समस्त भाग/ संपत्ति एक व्यावसायिक दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 12*7 कुल 7.80 वर्ग मीटर, संपत्ति संख्याः 15 से 18 का हिस्सा वर्तमान संख्याः 7 कागजी बाजार, मेरठ शहर उत्तर प्रदेश 250002 में स्थित, बिक्री विलेख संख्या के अनुसार। **बिक्री विलेख संख्या।** 12015, दिनांकः 11-07-2012 उप पंजीयक कार्यालय मेरठ में, निम्नानुसार सीमाः पूर्वः 12 फीट और दुकान संख्या 6 पश्चिमः 12 फीट और दुकान संख्या 8, 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्रवेश द्वार और आम मार्ग, उत्तर अन्य संपत्ति।								

नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना :

1	सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर उल्लिखित '**एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट**' के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और मुंबई में देय होंगे।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान निम्नलिखित को किया जाएगाः **खाते का नाम - एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी खाता, खाता संख्या - 000405158602, बैंक का नाम - आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट, आईएफएससी कोड- ICIC0000004**	
3	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि से 1 दिन पूर्व प्राप्त
4	संविदाएँ जमा करने का स्थान	रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुम्बई (नीचे उल्लिखित)
5	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाइट)	ई-नीलामी (**https://auction.edelweissarc.in**)
6.	संपर्क नं.	18002666540
7	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व अनुमति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट **https://auction.edelweissarc.in** में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

तिथि : 11.03.2025
स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे.

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी (ईएआरसी-ट्रस्ट-एससी- 423 के ट्रस्टी)
एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss

---

earc

एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन्कोर एआरसी)

एन्कोर एआरसी निगमित कार्यालय का पता :
5वां तल, भूखंड सं. 137, सेक्टर–44, गुरुग्राम– 122 002, हरियाणा

ई–नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणधारक और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ईएआरसी–बैंक–030–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् ("प्रतिभूत ऋणदाता") को सौंपे जाने के बाद से ऋण खाता में बकाया देयराशियों को प्रतिभूत करने के लिये इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (आईसीएफएल) के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका साँकेतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा किया जा चुका है, का विक्रय "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 17–04–2025 को किया जायेगा, और यह विक्रय ऋणधारक मैसर्स पंखी डिजाइन इंक (ऋणधारक) और श्री श्रीनिवास गुप्ता (सह–आवेदक / गारंटर / बंधककर्ता), श्रीमती बेबी गुप्ता और श्री सुधीर कुमार गुप्ता (सह–आवेदक / गारंटर) घ्की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय, 28–02–2025 के अनुसार रु. 2,12,21,971/– (दो करोड़ बारह लाख इक्कीस हजार नौ सौ इकहत्तर रुपये मात्र) की एक राशि और वसूली होने तक संविदागत दर पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य लागता. ", शुल्कों इत्यादि, वसूली / वसूलीकरण, यदि कोई, के समायोजन के उपरांत, के साथ, की वसूली करने के लिए किया जायेगा।
संपत्ति का विवरण, प्रतिभूत परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य (आरपी) तथा धरोहर राशि जमा (धराज) का विवरण निम्नानुसार होगा :

अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (धराज) (रु.)
छत/छज्जा के अधिकारों सहित समग्र तृतीय तल और ऊपर खुली हवा के साथ स्टिल्ट क्षेत्र (भूतल के नीचे) पर पार्किंग की जगह का 1/4 अविभाजित हिस्सा, पूर्वोक्त फ्री होल्ड संपत्ति बी–31 का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग गज है, जो न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली– 110060 में स्थित है, जो श्री श्रीनिवास गुप्ता के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– सीमायें : उत्तर : संपत्ति संख्या 32, दक्षिण : संपत्ति संख्या 30, पूर्व : रोड, पश्चिम : सर्विस लेन।	1,77,00,000/-	17,70,000/-

यदि ई–नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो तिथि स्वतः ही ठीक अगले कार्यदिवस तक विस्तार पा लेगी।
विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् http://www.encore-arc.com/ में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।
किसी स्पष्टीकरण / जानकारी के लिये, इच्छुक पक्षकारगण, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नं. 9873181249 / 8384075292 अथवा ईमेल **soumitra.acharya@encorearc.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनाँक : 10–03–2025
स्थान : गुरुग्राम

हस्ता./–
सचिन
कुमार (प्राधिकृत अधिकारी)
एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ईएआरसी–बैंक–030–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्

---

earc

एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन्कोर एआरसी)

एन्कोर एआरसी निगमित कार्यालय का पता :
5वां तल, भूखंड सं. 137, सेक्टर–44, गुरुग्राम– 122 002, हरियाणा

ई–नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 8 एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणधारक और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ईएआरसी–बैंक–030–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् ("प्रतिभूत ऋणदाता") को सौंपे जाने के बाद से ऋण खाता में बकाया देयराशियों को प्रतिभूत करने के लिये इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (आईसीएफएल) के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका साँकेतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा किया जा चुका है, का विक्रय "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर 17–04–2025 को किया जायेगा, और यह विक्रय ऋणधारक मैसर्स वीनो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने साझीदारों के माध्यम से, नामतः श्री रमन गंडोत्रा घ्और श्रीमती चंदर कॉंता गंडोत्रा घ्(ऋणधारक) और श्रीमती चंदर कॉंता गंडोत्रा घ्(सह–आवेदक / गारंटर) और श्री रमन गंडोत्रा (सह–आवेदक / गारंटर / बंधककर्ता) घ्की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय, 28–02–2025 के अनुसार रु. 1,42,34,881/– (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख चौंतीस हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) की एक राशि और वसूली होने तक संविदागत दर पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य लागतों, शुल्कों इत्यादि, वसूली / वसूलीकरण, यदि कोई, के समायोजन के उपरांत, के साथ, की वसूली करने के लिए किया जायेगा।
संपत्ति का विवरण, प्रतिभूत परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य (आरपी) तथा धरोहर राशि जमा (धराज) का विवरण निम्नानुसार होगा :

अचल प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि जमा (धराज) (रु.)
दुकान संख्या 007 धारक दुकान / वाणिज्यिक स्थान के समस्त वह भाग, जो निचले भू तल पर है, जिसका सुपर एरिया लगभग 83.843 वर्ग मीटर (902.484 वर्ग फीट) है, निर्मित क्षेत्रफल लगभग 48.000 वर्ग मीटर (516.672 वर्ग फीट) है, जो कि "रहेजा–मॉल" नामक बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर भवन में है, जो कि टिकरी गांव, सोहना रोड, सेक्टर–47, गुड़गांव–122001 में स्थित है, जो कि श्री रमन गंडोत्रा घ्के नाम पर है और इसकी सीमा इस प्रकार है : उत्तर दिशा में : 2520 चौड़ा कॉरिडोर, पूर्व दिशा में : दुकान संख्या एलजी–08, पश्चिम दिशा में : दुकान संख्या एलजी–06, दक्षिण दिशा में : कॉरिडोर।	96,00,000	9,60,000/-

यदि ई–नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होता है तो तिथि स्वतः ही ठीक अगले कार्यदिवस तक विस्तार पा लेगी।
विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **http://www.encorearc.com/** में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।
किसी स्पष्टीकरण / जानकारी के लिये, इच्छुक पक्षकारगण, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नं. 9873181249 / 8384075292 अथवा ईमेल **soumitra.acharya@encorearc.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनाँक : 10–03–2025
स्थान : गुरुग्राम

हस्ता./–
सचिन
कुमार (प्राधिकृत अधिकारी)
एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ईएआरसी–बैंक–030–ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत्

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फॉर्म नंबर INC-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है
केंद्र सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6) (ए) और
फिट इंडिया (फिट्नस) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
सीआईएन: U74988DL2000PTC103210
पंजीकृत कार्यालय: J-1, साकेत साउथ दिल्ली, नई दिल्ली 110017 IN

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें वार्षिक पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि की मांग की जाती है। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को **"एनसीटी दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 15/02/2025 को सामान्य बैठक/असाधारण आम बैठक आयोजित की गई।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियां विरोध के आधार पर पंजीकृत डाक से विरोध के आधार पर **क्षेत्रीय निदेशक को इस पते पर बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003,** इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी भेजी जानी चाहिए :
J-1, साकेत साउथ दिल्ली, नई दिल्ली 110017 IN

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
फिट इंडिया (फिट्नस) प्राइवेट लिमिटेड
एसडी/-
कंचन सिंह सत्पथी
दिनांक: 11/03/2025 निदेशक, डीआईएन: 01180060